

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार गोयल आर.ए.एस

ठाकुरजी मन्दिर श्री सीताराम जी विराजमान छगनघाट(सोटन) नदी दरवाजे बाहर करौली जरिये
प्रबन्धकगण एवं नेक्सट फ्रैण्ड

- 1 रमेश चन्द पुत्र कल्याण प्रसाद
- 2 बद्री लाल पुत्र रघुनाथ
- 3 विष्णुचन्द पुत्र केदार लाल
- 4 दिनेश चन्द पुत्र बजरंग लाल
- 5 प्रदीप पुत्र रूग्गीलाल

सभी जाति महाजन अग्रवाल
निवासी करौली (राजस्थान)

---वादीगण

बनाम

- 1 रामचरण पुत्र भौरू
 - 2 शिवचरण पुत्र भौरू
 - 3 छोटी पुत्री भौरू
 - 4 चौथी बेबा भौरू
 - 5 बंसता पुत्र शंकर
 - 6 रामजीलाल पुत्र शंकर
 - 7 हजारी पुत्र शंकर
 - 8 जगदीश पुत्र खून्या
 - 9 मुरारी लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण नि० करौली
 - 10 लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली (राज०)
- दावा 88,183,188 आर.टी.एक्ट
नुकदमा नम्बर 19/2014
निर्णय दिनांक 13.11.2017

सभी जाति माली
निवासी सोटन नदी दरवाजे वाहर
करौली राजस्थान

---प्रतिवादीगण

वादी की ओर श्यामप्रकाश गर्ग एडबोकेट उपस्थित एवं प्रतिवादी ओर से असफाक खान एडबोकेट उपस्थित है इस वाद मे आज तारीख 13.11.2017(नाम पीठासीन अधिकारी) उप खण्ड अधिकारी करौली के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है। और डिक्री दी जाती है। अतः दावा वादी मंदिर श्री सीताराम जी विराजमान (सोटन) नदी दरवाजा वाहर करौली डिक्री किया जाता है। वादी मंदिर श्री सीतारामजी वाके कस्वा करौली को विवादित आराजीयात खं. नं. 3482, 3499 कुल किता 2 कुल रकवा 3 विस्वा बाके कस्वा करौली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित भूमि में खडे पेडो को नही काटे ना कोई निर्माण करे ना भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन वय करे। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाता है वादी दखल करा कर कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। प्रतिवादी नं. 8 को आदेश दिया जाता है कि वह विवादित भूमि का वादी मंदिर के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी का अंकन कर अमल करे। प्रतिवादीगण से दखल करा कर वादी को कब्जा सम्भलबाया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह आज तारीख 13.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी।

पीठासीन अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
करौली

वाद के खर्चे

वादी

प्रतिवादी